राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर राज0

राजस्व प्र0 सं0 –01/44/2021 दर्ज तिथि– 19/02/2021 निर्णय तिथि– 14.12.2021

अनुवान– 01 बक्शी पुत्र नारायण उम्र 78 साल कौम गुर्जर
02 तेजा पुत्र नारायण उम्र 67 साल कौम गुर्जर
समस्त निवासीयान ग्राम जोहड़ी की ढ़ाणी , द्वारापुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी ,थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
–अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)

वादीगण अधिवक्ता – श्री महेन्द्र कुमार शर्मा

प्रतिवादीगण अधिवक्ता – पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– तारीख 14.12.2021

आज यह पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों कें संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र द्वारापुर तहसील थानागाजी पर वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार से है–

01. यह है कि वाके ग्राम बसई अभयराम पटवार मण्ड़ल द्वारापुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में हाल आराजी खसरा नम्बर खाता नम्बर 49 खसरा नम्बर 153 रकबा 0.03 है0, 153/343 रकबा 0.05 है0, 154 रकबा 0.06 है0 ,164 रकबा 0.42 है0 , 166 रकबा 0.18 है0 ,179 रकबा 0.25 है0, 180 रकबा 0.68 है0 ,181 रकबा 0.43 है0 , 183 रकबा 0.52 है0 में प्रार्थीगण का 1/6– 1/6 हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का चला आता है। जो आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के तहत् दर्ज चली आती है। जैसा कि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 से प्रमाणित है।
02. यह है कि उपरोंक्त हाल आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है , जो वाके ग्राम बसई अभयराम पटवार मण्ड़ल द्वारापुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 141 रकबा 02 बीधा , 142 रकबा 4 बिस्वा , 140 रकबा 5 बिस्वा , 129 रकबा 01 बीधा 13 बिस्वा , 117/306 रकबा 14 बिस्वा , 126 रकबा 01 बीधा , 145 रकबा 02 बीधा 14 बिस्वा , 139 रकबा 01 बीधा 14 बिस्वा , 143 रकबा 02 बीधा 5 बिस्वा से बना है, जो मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2060 से प्रमाणित होता है।
03. यह है उपरोक्त हाल आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण ही करते आ रहे है। किसी प्रकार से विवादित नही है। उक्त आराजी पहले प्रार्थी के पिता नारायण पुत्र गोपाल के नाम से दर्ज चली आती थी। नारायण के फौत होने के बाद जब प्रार्थीगण ने विरासत का इंतकाल संख्या 87 दर्ज कराया तो यानि सम्वत् 2060 के बाद राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम नारायण के स्थान पर गोपाल दर्ज हो गया है जबकि गोपाल प्रार्थीगण का दादा है, जो राजस्व कर्मचारीयों की भूल व सहवन से गलत दर्ज हुआ है , जो गलत है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम समस्त आई0डी0 दस्तावेज व अन्य रिकॉर्ड में नारायण दर्ज है, जो सही है, जबकि सम्वत् 2060 के बाद व हाल रिकॉर्ड खाता संख्या 49 में प्रार्थीगण के पिता नाम गोपाल दर्ज हो गया है, जबकि गोपाल दादा का नाम है, जो कतई गलत व मौके के खिलाफ है। खाता संख्या 54 व 88 में प्रार्थीगण के पिता का नाम नारायण सही दर्ज हो गया है।जिससे

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण को भारी परेशानीया हो रही है। उपयोग–उपभोग में बाधा आ रही है एंव अंनेक सरकारी लाभों सके वंचित रहना पड़ रहा है। अब प्रार्थीगण की उक्त आराजी के हाल रिकॉर्ड जमाबन्दीयों में गलत नाम बक्शी पुत्र गोपाल व तेजा पुत्र गोपाल यानि की पिता के नाम के स्थान पर गोपाल को दुरूस्त कराकर सही नाम समस्त हाल रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम नारायण दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी व आई0 डी0 दस्तावेज में नाम मिलान हो सके एंव प्रार्थीगण को होने वाली परेशानीयों से छुटकारा मिल सके । जिस बात की जानकारी प्रार्थीगण को तब हुई जब प्रार्थीगण पटवारी हल्का के पास अपनी आराजी पर लोन के लिए नकल व जमाबन्दी लेने गये तो पटवारी ने यह जानकारी दिनांक 10.02.2021 को दी , जो हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज दर्ज किय हुआ है , वह कतई गलत है। प्रार्थीगण के हकूकों के मुकाबिले बातिल बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जबकि प्रार्थीगण की आराजी के हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में पिता का नाम नारायण दर्ज होना चाहिए था। इसलिए अब प्रार्थीगण के हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में पिता का नाम नारायण दर्ज कराया जाना आवश्यक है। जा`हाल रिकॉर्ड में गलत नाम गोपाल को दुरूस्त कर व कलमजन किया जाकर पिता का सही नाम नारायण दर्ज कराया जाकर धोषणा किये जाने योग्य है। जिन दस्तावेजात की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है।

04. यह है कि प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार है तथा काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण अनपढ़ व्यक्ति है , जिसको अपने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नही थी ,जिसकी जानकारी अब नकल प्राप्त करने पर हुई , जिस बाबत प्रार्थीगण की आराजी हाल रिकॉर्ड में पिता का सही नाम नारायण दर्ज किया जावे एंव गलत नाम गोपाल को दुरूस्त कराने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश है।

05. यह है कि बद्री दत्तक पुत्र कल्या ,दड़की पत्नि कल्या व धड़सी पुत्र गोपाल जाति गुर्जर भी सहकाश्तकार है ,ि जिनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए उनको पक्षकार नही बनाया गया है।

अन्तः में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की हाल खातेदारी आराजी ग्राम बसई अभयराम पटवार मण्ड़ल द्वारापुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में हाल आराजी खसरा नम्बर खाता नम्बर 49 खसरा नम्बर 153 रकबा 0.03 है0, 153/343 रकबा 0.05 है0, 154 रकबा 0.06 है0 ,164 रकबा 0.42 है0 , 166 रकबा 0.18 है0 ,179 रकबा 0.25 है0, 180 रकबा 0.68 है0 ,181 रकबा 0.43 है0 , 183 रकबा 0.52 है0 के हाल रिकॉर्ड जमाबन्दीयों में जो प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम गोपाल दर्ज है उसको दुरूस्त कर सही नाम नारायण दर्ज करने का निवेदन किया गया। साथ में शपत–पत्र भी पेश किया गया।

प्रार्थीगण प्रा0 पत्र जरिये अधिवक्ता एक पक्षीय सुना गया एंव प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार (भू0अ0) ,थानागाजी से राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र द्वारापुर तहसील थानागाजी मौके पर रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारापुर, ,भू0अ0 निरीक्षक एंव तहसीलदार भू0अ0,थानागाजी द्वारा अपनी अभिशंषा रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम बसई अभयराम के खाता संख्या 49 में बक्शी , तेजा पि0 गोपाल हि0 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि साबिक जमाबन्दी संवंत 2038'41 व नामान्तरण संख्या 87 कि आधार पर हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 49 में बक्शी ,तेजा पि0 गोपाल हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति गुर्जर के स्थान पर बक्शी ,तेजा पि0 नारायण हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार शुद्व किया जाना उचित होगा, अवगत कराया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजात् हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 88 में क्रम संख्या 02 व 03 तथा खाता संख्या 54 के क्रम संख्या 01व 02 पर अंकित तेजा , बक्शी पुत्र नारायण हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार वाके ग्राम द्वारापुर दर्ज रिकॉर्ड है ,जो शुद्व दर्ज होना प्रमाणित होता है तथा साबिक दस्तावेजात् जमाबन्दी 2032 वाके ग्राम बसई अभयराम के खाता संख्या 39 में नारायण पि0 गोपाल कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है , जिससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित निवेदन कि उक्त आराजी पहले प्रार्थीगण के पिता नारायण पुत्र गोपाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आती थी। नारायण के फौत होने के बाद प्रार्थीगण ने विरासत का इंतकाल संख्या 87 दर्ज कराया यानि सम्वत् 2060 के बाद राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रार्थीगण के पिता नारायण के स्थान पर गोपाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण तेजा व बक्शा के दादा गोपाल है ,जो सही प्रमाणित होता है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2060 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान के साबिक खसरा नम्बरान सही प्रमाणित होता है। एवं हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074 –2077 के खाता

Scanned by CamScanner

संख्या 49 में वर्णित खसरा नम्बरान वाके ग्राम बसई अभयराम के क्रम संख्या 02 व 04 पर दर्ज तेजा ,बक्शी पुत्र गोपाल हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज होना गलत प्रमाणित होता है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का , भू0 अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार (भू0अ0) , थानागाजी की अभिशंषा रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना –पत्र में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 88 में क्रम संख्या 02 व 03 तथा खाता संख्या 54 के क्रम संख्या 01व 02 पर अंकित तेजा , बक्शी पुत्र नारायण हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार वाके ग्राम द्वारापुर तथा साबिक दस्तावेजात् जमाबन्दी 2032 वाके ग्राम बसई अभयराम के खाता संख्या 39 में नारायण पि0 गोपाल कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज प्रविष्ट , मिलान क्षेत्रफल , राशन कार्ड, आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना –पत्र प्रार्थीगण काबिल स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की हाल खातेदारी आराजी वाके ग्राम बसई अभयराम पटवार हल्का द्वारापुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 49 में क्रम संख्या 02 व 04 पर दर्ज प्रविष्ट तेजा , बक्शी पुत्र गोपाल हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के स्थान पर तेजा , बक्शी पुत्र नारायण हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार शुद्व दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ,थानागाजी को दिये जाते है। शेष प्रविष्ट यथावत् दर्ज रहे। आदेश प्रति तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी को पालनार्थ प्रेषित हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.12.2021 को लिखवाया जाकर प्रशासन गावों के संग अभियान शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र द्वारापुर तह0 थानागाजी पर मजमेआम सुनाया गया।

डॉ नवनीत कुमार1(आरएएस)
कैम्प प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी ,अलवर
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट द्वारापुर

Scanned by CamScanner